Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 1650–1656

NATIONAL RURAL LIVELIHOOD MISSION: A SOCIOLOGICAL STUDY (WITH SPECIAL REFERENCE TO SADAR TEHSIL OF PRATAPGARH DISTRICT)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (जनपद प्रतापगढ़ के सदर तहसील के विशेष संदर्भ में)

Neetu Singh [1], Amarpal Singh [2], Vinod Singh [3]

[1] Research Student, Department of Humanities & Social Sciences, Shri Ramswaroop Memorial University, Deva Road, Lucknow, (Uttar Pradesh), India
[2] Department of Humanities & Social Sciences, Shri Ramswaroop Memorial University, Deva Road, Lucknow, (Uttar Pradesh), India
[3] Head of Department, Associate Professor, Department of Humanities, Shri Ramswaroop Memorial College of Engineering & Management, Lucknow (Uttar Pradesh), India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.6053

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: The objective of National Rural Livelihood Mission is to connect rural poor families with the mainstream of the country and to link them with various programmes and to remove their poverty through various programmes. However, the objective is to provide a capable and effective institutional platform to the poor villagers and to continuously increase their livelihood, to provide them better and easier access to financial services and to increase their family income. In fact, the said livelihood mission is a programme to reduce poverty by creating permanent and strong institutions (self-help groups - village organizations, cluster level federations) of rural poor women. From the year 2023, NRLM scheme has been implemented by modifying and changing SGSY.
Although according to the Socio-Economic and Caste Census 2011, the total population of urban and rural families living in 6450 districts in India is 24.39 crores. Out of this, a total of 17.91 crore families live in rural areas. It is worth mentioning that 5.37 crores i.e. 29.97 percent rural landless, 51.14 percent daily wage and 30.10 percent rural families are dependent on agriculture.
Even in normal conditions, employment is not available in agriculture throughout the year. This is the reason why rural youth have to face the problem of unemployment and semi-unemployment. Due to lack of any other income, rural youth starts migrating to cities in search of business. But the youth living in the rural town of Sadar Tehsil (District-Pratapgarh) in urban areas need education, training and opportunities for skill development. The need of the hour is to prepare and develop the rural/town youth psychologically so that they do not look for employment themselves but create employment themselves. Do such possibilities exist in the youth here? Therefore, to explore these possibilities, the government is smoothly running many programs for the progress and development of rural youth. The researcher believes that creating awareness for livelihood in the rural and town areas of Sadar Tehsil of Pratapgarh will lead them towards new employment, which will greatly help in stopping the migration of people from there and accordingly a new record will be established on the front of prosperity and progress.

Hindi: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य! ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ना एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी गरीबी दूर करना है। यद्यपि गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। वस्तुतः उक्त आजीविका मिशन ग्रामीण गरीब महिलाओं की स्थाई और सशक्त संस्थाओं (स्वयं सहायता समूह- ग्राम संगठन क्लस्टर लेवल फडरेशन) का निर्माण कर गरीबी कम करने का कार्यक्रम है। वर्ष 2023 से

एन0आर0एल0एम0 योजना एस0जी0एस0वाई0 को संशोधित एवं परिवर्तित कर लागू की गई है। यद्यपि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 6450 जिलों में रहने वाली शहरी और ग्रामीण परिवारांे की कुल जनसंख्या 24.39 करोड़ है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 17.91 करोड़ परिवार रहते हैं। उल्लेखनीय है कि 5.37 करोड़ परिवार रहते हैं। उल्लखनीय है कि 5.37 करोड़ अर्थात् 29.97 प्रतिशत ग्रामीण भूमिहीन, 51.14 प्रतिशत दैनिक मज़दूरी एवं 30.10 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं।

सामान्य स्थिति में भी कृषि में वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता है। यही कारण है कि ग्रामीण युवाओं को बेरोज़गारी और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी अन्य आय की प्राप्ति न होने के कारण ग्रामीण युवा नगरों की ओर उद्यम की तलाश में पलायन करने लगता है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में सदर तहसील (जनपद-प्रतापगढ़) के ग्रामीण कस्बा में रहने वाले युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित, एवं कौशल निर्माण के लिये अवसर की आवश्यकता है। समय की मांग है कि ग्रामीण/कस्बा के युवाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार व विकसित करें जिससे वह स्वयं रोजगार तलाश न करें अपितु स्वयं रोजगार सृजन करें। क्या यहां के युवाओं में ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं, अतः इन्हीं संभावनाओं की तलाशने हेतु सरकार द्वार अनेक ग्रामीण युवाओं के उन्नति और विकास हेतु कार्यक्रम सुचारू से चलाये जा रहे हैं। शोधार्थी का मानना है कि प्रतापगढ़ के सदर तहसील के ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में आजीविका के लिये जागरूकता उत्पन्न करने उन्हें नए रोजगार की ओर अग्रसर होंगे जिससे वहां के लोगों का पलायन को रोकने में बहुत मदद मिलेगी तद्नुसार खुशहाली एवं प्रगति के फलक पर एक नवीन कीर्तिमान स्थापित होगा।

Keywords: Livelihood Mission, Institutional, Family Income, Employment, Rural Family, Training, Skill Development आजीविका मिशन, संस्थागत, पारिवारिक आय, रोजगार, ग्रामीण परिवार, प्रशिक्षण, कौशल निर्माण

1. प्रस्तावना

यद्यपि किसी भी कार्य में मदद लेने और देने की परम्परा सदियों से चली आ रही है। सामुदायिकता की भावना भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषज्ञता है। जो इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से जुड़ी हुई है। आज के अर्थ प्रधान समय में इसकी महत्ता और भी प्रासंगिक हो गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य सीधे ग्रामीण निर्धन परिवारों को लक्ष्य में रखने वाले कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण गरीबी को दूर करना है। 'प्रत्यक्ष रूप से लक्षित' श्रेणी में ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। स्वर्ण-जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) इस मंत्रालय का महत्वपूर्ण है, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) को पुनर्गठित करते हुए वर्ष 1999 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।

निर्धनों को संगठित किया जाने की और उनकी क्षमताओं की मुख्य विशेषता थी ताकि उन्हें स्व-रोजगार के अवसर मिल सकें। एस.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के 10 वर्षांे में देश में निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने की जरूरत को जो कि उनकी गरीबबी को दूर करने के लिये पूर्व अपेक्षित है, व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

एस.जी.एस.वाई की गहन समीक्षाओं से ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं, लाभार्थियों में अपर्याप्त निवेश; और बैंकों के साथ कम संपर्क जिसकी वजह से ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है एक बारंबार वित पोषण जैसी अनेक कमियों का पता चला है। अनेक राज्य समर्पित मानव संसाधनों और उपर्युक्त प्रणालियों की कमी की वजह से एसजीएसवाई के अन्तर्गत मिली निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाएं हैं।

एसएचजी परिसंघों जैसी समूह संस्थाओं की अनुपस्थिति में निर्धन परिवार उत्पादकता संवर्धन, विपणन, जोखिम प्रबंधन आदि के लिये उच्च श्रेणी की सहायक सेवाएं प्रबंधन आदि नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जहां कहीं भी निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में व्यवस्थित रूप से एकजुट किया गया है। व्यवस्थित तरीके से उनकी क्षमता का निर्माण एवं कौशल विकास किया गया है।

स्व-रोजगार में प्रत्यक्ष पहलों के जरिए ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला कार्य का क्षेत्र काफी विशाल है। अनुमानित 7 करोड़ ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों में से 4.5 करोड़ परिवारों को अभी भी स्व-सहायता समूहों में संगठित किये जाने की जरूरत है। इन परिवारों में से काफी अधिक परिवार अत्यंत उपेक्षित हैं यहां तक कि मौजूदा एस.एच.जी. को भी और सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि में सरकार ने एस.जी.एस.वाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप मंे पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। जिसे देश भर में मिशन मोड में कार्यान्वित किया जायेगा। एन.आर.एल.एम. मंे एस.जी.एस.वाई. के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और इसमें देश में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए अनुभवों की प्रमुख सीखों को समाविष्ट किया गया है।

एन.आर.एल.एम. का कार्य काफी महत्वाकांक्षी हैं इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण निर्धन (बी.पी.एल) परिवारों तक पहुंचना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया कराना है। यह उस समय तक उनका-पोषण करता रहेगा जब तक वे गरीबी से उभरकर सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत न करने लगे।

उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये एन.आर.एल.एम. में विभिन्न स्तरों पर समर्पित एवं संवेदनशील सहायक संरचनाएं बनाई गई हैं। ये संरचनाएं निर्धनों को संगठित करने, उनके संगठनों की क्षमताओं का निर्माण करने, निधियां और अन्य आजीविका संबंधी संसाधन प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाने की दिशा में कार्य करती हैं। सहायक संस्थाएं प्रारंभ में उन्हें संगठित करने की प्रक्रिया शुरू करने, आजीविका परिणामों को बरकरार रखने की भूमिका निभाती हैं।

उल्लेखनीय है कि निर्धनों की संस्थाएं-एस.एच.जी उनके परिसंघ और आजीविका समूह- ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता और परस्पर सहयोग पर आधारित सामूहिक कार्यवाही के लिये एक मंच मुहैया कराती हैं। ये बैंको और सरकारी विभागों सहित प्रमुख संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ाती हैं। ताकि उनके आजीविका संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं गरीबी के अन्य आयामों का समाधान किया जा सके। वास्तव में ये संस्थाएं उनकी प्राथमिकता आधारित जरूरतों को पूरा करने के लिये बचत जमा और अन्य वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं। इनमें उपभोग संबंधी जरूरतें, ऋण से राहत, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा और आजीविका शामिल हैं। ये कौशल, ज्ञान, साधनों, आधारभूत सुविधा, स्वयं की निधियों और सदस्यों के लिये अन्य संसाधनों का संवर्धन करती हैं।

ये आय को बढ़ाती हैं, खर्च को कम करती हैं, लाभप्रद रोजगार को बढ़ाती हैं और अपने सदस्यों के लिये जोखिमों को कम करती हैं। ये सुविधाप्रदाताओं से कारोबार के दौरान उनकी तोलमोल की शक्ति को बढ़ाती हैं।

तथाकथित निर्धनों को उनकी संस्थाओं में बाह्य संवदेनशील सहायक संरचना के जरिए एकजुट करने की विशेष जरूरत है। सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन और सिविल सोसाइटी संगठन, स्थानीय स्वशासी सरकार, बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र यह भूमिका निभा सकते हैं। समय के साथ-साथ चूंकि निर्धनों की संस्थाएं भी विकसित एवं परिपक्व हो जाती हैं। इसीलिए वे स्वयं संवेदनशील सहायक संरचना और निर्धन की संस्थाएं बना जाती हैं। समय बीतने के साथ-साथ बाह्य सहायक संरचानाओं पर निर्भरता कम होगी। उनके सफल और सशक्त सदस्य तथा मुखिया इस कार्य का जिम्मा ले सकते हैं। इस प्रकार निर्धनों के लिये कार्यक्रम निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम बन जाता है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नैतिक मूल्यः

1. निर्धनों में गरीबी से उबरने की सहज क्षमता और सशक्त इच्छा होती है।

(क) स्वयं की संस्थाएं बनाने के लिये प्रेरित करना।

(ख) स्वयं के संसाधनों, हुनर एवं प्राथमिकताओं के स्तर को बढ़ाना।

(ग) अत्यंत निर्धनों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में अत्यंत निर्धनों के लिये सार्थक भूमिका।

(घ) सभी स्तरों-नियोजन, कार्यान्वयन एवं निगरानी में निर्धनों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रमुख भूमिका।

(य) सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता

3. शोध का उद्देश्य

जनपद-प्रतापगढ़ के सदर तहसील में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/कार्यक्रमों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र का चयन

जनपद-प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य का 72वां जिला है। इसे बेला, परतामगढ़ या प्रताबगढ़ कहते हैं। यह प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के रूप में सदर तहसील का चयन किया गया है।

1) अध्ययन का समग्र

जनपद-प्रतापगढ़ के सदर तहसील की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम. योजना) के पात्र पुरूष एवं महिलाओं को प्रमुख अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

2) अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निदर्शन विधि का उपयोग किया गया है। जिसमें उत्तरदाताओं को चयनित कर विश्लेषण किया गया है।

3) तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत अध्ययन के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। तत्पश्चात उनका विश्लेषण/परीक्षण निष्कर्ष निकाला गया है।

4) प्राथमिक समंक

प्राथमिक आंकड़ों का एकत्र/संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाओं से प्रत्यक्ष वार्तालाप कर साक्षात्कार किया गया है। तद्नुसार उक्त अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप।

5) द्वितीयक समंक

द्वितीयक तथ्यों का संकलन हेतु सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन, पत्र-पत्रिकाएं, सरकारी वार्षिक रिपोर्ट्स ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिवेदन एवं पुस्तकालयों/ग्रन्थालयों आदि को आधार बनाया गया है।

6) तथ्यों का विश्लेषण

प्रस्तुत कम्प्यूटर द्वारा एस.पी.एस.एस. पैकेज का प्रयोग करते तथ्यों का सांख्यिकी व सारणीयन विश्लेषण किया गया है।

तालिका संख्या-1

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के संचालित कार्यक्रम

क्र.स.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	295	98.33
2	नहीं	05	1.61
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका संख्या-1 में प्रदर्शित आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 98.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिये कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। जबकि 1.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के कार्यक्रम संचालित नहीं किये जाते हैं।

अतः स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को जानकारी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिये कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इस प्रकार ये लोग संचालित कार्यक्रमों से लाभान्वित होकर अपने आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार कर पाने में सक्षम हो रहे हैं।

तालिका संख्या-2

कार्यक्रम का विवरण

क्र.स.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग कार्यक्रम	75	25.0
2	महिला जागरूकता कार्यक्रम	100	33.33
3	महिला सामूहिक विवाह कार्यक्रम	25	0.33
4	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम	33	11.00
5	स्व-सहायता समूह से ऋण	58	19.33
योग		291	100.00

300 कुल उत्तरदाताओं में से 291 उत्तरदाताओं ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह के लिये कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। 291 उत्तरदाताओं में से 25.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दिये कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है जबकि 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह जानकारी दिये कि ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किया जा रहा है एवं वहीं 11.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं से यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है। 19.33 प्रतिशत इस प्रकार के उत्तरदाता हैं जिन्होंने स्व-सहायता समूह से ऋण लेकर अपनी आजीविका चलाने हेतु लिये हैं।

तालिका संख्या-3

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी प्राप्त करने हेतु साधन

क्र.स.	साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
1	टेलीवीजन/व्हाट्सअप/रेडियो	97	32.33
2	रिश्तेदार	13	4.33
3	सरकारी संस्थान	31	10.33
4	समाचार पत्र	15	5.00
5	ग्राम संगठन के स्तर से	35	11.66
6	स्व-सहायता से जुड़ी महिलाएं	109	36.33
योग		300	100.00

उपरोक्त तालिका संख्या- के विश्लेषण/परीक्षण से विदित होता है कि सबसे अधिक 36.33 प्रतिशत स्व0 सहायता से जुड़ी महिलाओं से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजन की जानकारी मिली है जबकि सबसे कम 4.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने रिश्तेदारों से उक्त आजीविका मिशन योजन की जानकारी प्राप्त हुई। इसी प्रकार 5.00 उत्तरदाताओं को सरकारी संस्थान से जानकारी मिली है। 11.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम संगठन से टेलीवीजन/व्हाट्सअप/रेडियो से 32.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उक्त उल्लिखित आजीविका मिशन के विषय में अपेक्षित जानकारी मिली है।

तालिका संख्या-4

महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु संचालित योजना

क्र.स.	योजना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना	41	13.44
2	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	135	45.00
3	उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना	89	29.66
4	उज्जवला योजना	30	10.00
5	वृद्धावस्था पेंशन योजना	05	01.66
योग		300	100.00

उपरोक्त प्रदर्शित तालिका संख्या-4 में महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु संचालित योजना का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 45.00 प्रतिशत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का सफल संचालन हो रहा है जबकि सबसे कम 01.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं से जानकारी मिली है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उज्जवला योजना का लाभ ले रहे हैं। 29.66 प्रतिशत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना का संचालन हो रहा है जबकि 13.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

तालिका संख्या-5

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम	आवृत्ति	प्रतिशत
1	महिलाएं जागरूक हो रही है	69	23.00
2	रोजगार एवं प्रशिक्षण	99	33.00
3	स्वरोजगार	71	23.66
4	स्वयं का रोजगार पुरूष कर रहे है	61	20.33
योग		300	100.00

तालिका संख्या-5 में प्रदर्शित प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है। जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 33.00 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाता रोजगार एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 20.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं का रोजगार पुरूष कर रहे हैं। क्रमशः 23.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं से जानकारी मिली कि महिलाएं जागरूक रही है एवं 23.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उक्त मिशन के तहत स्वरोजगार कर रहे हैं।

तालिका संख्या-6

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन और सुधार का विवरण

क्र.स.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गरीबी उन्मूलन/निवारण	148	49.33
2	प्रशिक्षण	10	03.33
3	सम्मानजनक रोजगार	99	33.00
4	स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण	16	05.33
5	गरीबी दूर करने के लिये	13	04.33
6	रोजगार आर्थिक स्थिति में सुधार	14	04.66
योग		300	100.00

प्रस्तुत तालिका संख्या-6 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन और सुधार का विवरण प्रदर्शित किया गया है। तालिका में दर्शाएं गये आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यद्यपि कुल उत्तरदाताओं में से 49.33 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने माना कि गरीबी संचालन हो रहा है। 3.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किये है। 33.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी आजीविका चलाने एवं अपने परिवार का भरण-पोषण का कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं। क्रमशः 4.33 प्रतिशत उत्तरदाता एवं 4.66 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी दूर करने एवं रोजगार से उत्तरदाताओं से यह भी ज्ञात हुआ है कि रोजगार की आर्थिक में सुधार हुआ है।

तालिका संख्या-7

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन/माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु

क्र.स.	महिलाओं को सशक्त बनाने	आवृत्ति	प्रतिशत
1	महिलाओं को प्रशिक्षण द्वारा आत्म-निर्भर बनाना।	35	11.666
2	आर्थिक में सुधार	31	10.53
3	बेहतर रोजगार प्राप्त करना	46	15.33
4	बचत धनराशि प्राप्त करना	32	10.66
5	अधिक रोजगार उपलब्ध करना	143	17.66
6	अन्य योजनाओं का संचालन	13	4.33
योग			

प्रस्तुत तालिका संख्या-7 में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 47066 प्रतिशत उत्तरदाताओं से जानकारी मिली है कि प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 4.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि अन्य योजनाओं का संचालन कर रहे हैं।

प्रस्तुत उक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के दिशा में 10.66 प्रतिशत उत्तरदाता बचत धनराशि प्राप्त किये हैं। 10.33 प्रतिशत उत्तरदाता के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 11.66 प्रतिशत महिलाओं को प्रशिक्षण द्वारा आत्म निर्भर हो रहे हैं। जबकि 15.33 उत्तरदाताओं से जानकारी के अनुसार बेहतर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

4. निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसमें ग्रामीण बेरोजगार एवं महिलाएं भी शामिल है, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना और उनकी गरीबी को दूर करना है। विविध आजीविका कार्यक्रलापों को ध्यान में रखते हुए तीन आधारों पर कार्य करता है। गरीबों के लिये विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, बाहरी क्षेत्र में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना और स्व-रोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। प्रस्तुत अध्ययन में 98.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस कार्यक्रम को लाभकारी बताया है। जनपद में कार्यक्रम का विवरण से ज्ञात होता है कि महिला जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, स्व-समूह से ऋण, कौशल सतरंग कार्यक्रम से ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत शोध कार्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की जानकारी वैसे तो सरकारी संस्थान, ग्राम संगठन, स्व-सहायता समूह, समाचार-पत्र से मिलती है, परन्तु टेलीजिन/व्हाट्सअप/रेडियो से 32.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सबसे अधिक जानकारी मिली है। सारणी संख्या-4 से ज्ञात होता है कि महिला रोजगार हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (13.44 प्रतिशत), उज्जवला योजना (10 प्रतिशत) उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना (29.66 प्रतिशत), मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (45 प्रतिशत) संचालित हो रही है। महिला सशक्तिकरण हेतु सारणी संख्या-7 में 47.66 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि यह कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार में अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मददगार सिद्ध हो रहा है।

संदर्भ

मिशन दस्तावेज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
पूर्वोत्तर, पृ0 17
पूर्वोत्तर, पृ0 17
पूर्वोत्तर, पृ0 18
पूर्वोत्तर पृ0 18
पूर्वोत्तर पृ0 18
पूर्वोत्तर पृ0 18
सिंह, सुधांशु, 2025, जीविकोपार्जन के मिशन पर जुटी सरकार, कुरूक्षेत्र वर्ष-61, अंक-12, अक्टूबर 2015, पृ0 13.17
सिंह, रहीश, 2016, ग्रामीणों युवाओं में उद्यमिता की संभावनाएं, हिन्दी विवेक, नवम्बर-2016